रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1934] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 10, 2017/आषाढ़ 19, 1939
No. 1934] NEW DELHI, MONDAY, JULY 10, 2017/ASADHA 19, 1939

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2017

का.आ. 2173(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त करता है;

और, भारत सरकार के भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के अधीन लोक उद्यम विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) के कर्मचारियों या आश्रितों को, जो स्वैच्छिक निवृत्ति स्कीम (वीआरएस) या स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम के अधीन पृथक्कृत हैं या जिन्हें उद्यमों के बंद होने या उनके पुनर्संरचना के कारण छंटनी की गई है, स्व या सवैतनिक मजदूरी के लिए उन्हें सक्षम बनाने के लिए अल्पावधि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदा कहा गया है) उपलबध कराने के संबंध में स्व या सवैतनिक मजदूरी का अवसर प्रदान कराने के उद्देश्य से **केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यम (सीपीएसईज़) के पृथक्कृत कर्मचारियों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन स्कीम** (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है;

और, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ मिलकर अपने पैनलीकृत प्रशिक्षण एजेंसियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसियां कहा गया है) के माध्यम से उपर्युक्त स्कीम की प्रस्थापना की जा रही है;

और, उपर्युक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वधित हैं;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकिओं, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति से यह अपेक्षा है कि वह आधार का कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक कोई व्यष्टि जिसके पास आधार संख्या न हो या जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन न कराया हो, उसे आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो, और ऐसे व्यष्टियों को आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना किया जाना अपेक्षित है जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, और उस दशा में जहां ब्लॉक या तालुका अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र न हो तो, विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यूआईएडीआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से अथवा स्वयं ही रजिस्ट्रार बन कर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा:

परन्तु यह कि आधार आवंटित किए जाने तक किसी व्यष्टि को स्कीम के अधीन फायदे दिए जाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए ऐसे व्यष्टियों को फायदे दिए जाएंगे, अर्थात:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया हो तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (2) में यथाविनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए उसके अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) फोटोग्राफ वाली बैंक पासबुक; या (ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड, या (iv) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुतरित; या (vii) किसी राजपत्रितअधिकारी द्वारा सरकारी लेटर हेड पर जारी ऐसे व्यक्ति की पहचान का प्रमाणपत्र जिस पर उसकी फोटो हो; या (viii) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सरल और सुगम निर्बाध फायदे प्रदान कराने के लिए विभाग कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से अपेक्षित व्यवस्था करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:-

(1) मीडिया के माध्यम से और व्यष्टिक सूचनाओं द्वारा व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें यह सुझाव दिया जाए कि वे स्वयं को स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकरण से पहले अपने क्षेत्र में स्थित निकटतम आधार नामांकन केंद्र में अपना नामांकन करवा लें यदि उन्होंने पहले अपना नामांकन नहीं कराया है। स्थानीय नामांकन केंद्रों की सूची उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी।

(2) यदि स्कीम के अधीन फायदाग्राही, ब्लॉक, तालुका या तहसील आदि में नामांकन केंद्र न होने के कारण अपना नामांकन नहीं करवा सके तो विभाग यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से उचित स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा और फायदाग्राही, विभाग के अभिहित अधिकारियों को अपना नाम, पता, मोबाईल संख्या और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले उपबंध में विनिर्दिष्ट विवरण देकर अपना आधार नामांकन करवाएंगे।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-काश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 02/32/0015/2015/सं.स.(सीआरआर)]

राजेश कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Public Enterprises)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2017

S.O. 2173(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Public Enterprises (hereinafter referred to as the Department) under the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises in the Government of India is administering the **Central Sector Scheme of Counselling, Retraining and Redeployment for separated employees of the Central Public Sector Enterprises (CPSEs)** (hereinafter referred to as the Scheme) with an objective to provide opportunities of self and wage employment to the employees or dependents of the Central Public Sector Enterprises (hereinafter referred to as the beneficiaries) who are separated under the Voluntary Retirement Scheme (VRS) or the Voluntary Separation Scheme (VSS) or have been retrenched due to closure or restructuring of the enterprises, by providing short-duration skill development training programmes (hereinafter referred to as the benefits) to equip them for self or wage employment;

And whereas, the aforesaid Scheme is offered in association with the National Skill Development Corporation (NSDC) under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship through their empanelled Training Agencies (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment before registering oneself into the Scheme, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provision of section 3 of the said Act, and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre for Aadhaar enrolment;

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through the Implementing Agencies is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through the Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming Registrar itself:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Passport; or (vi) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on official letter head; or (viii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Department through the Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme, and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas before registering oneself into the Scheme, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through the Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Department or the Implementing Agencies.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 02/32/0015/2015/JS(CRR)]

RAJESH KUMAR CHAUDHRY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.13 11:38:19 +05'30'